न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 126/2013–14

श्री एस0एन0 कुमार
–बनाम–
सरकार

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : डी0आर0 तिवारी।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल, विशेष अधिवक्ता

बावत
मौजा ईस्ट होप टाउन, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता ने विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा आदेश संख्या–839/आ0ले0–14 दिनांक 04–04–2014 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत तहसील विकासनगर की आख्या दिनांक 27–03–2014 एवं अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून की आख्या दिनांक 03–04–2014 की इस आशय की रिपोर्ट कि ईस्ट होप टाउन, तहसील विकासनगर की भूमि खसरा नम्बर–870, 893 व 919 के खातेदारों द्वारा गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को विक्रय की गई भूमि न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के वाद संख्या–15ए/99–2000, दिनांक 02–06–2003 के द्वारा राज्य सरकार में निहित होने के बावजूद भी न्यायालय सहायक अभिलेख अधिकारी/अपर सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून के वाद संख्या–36/96–97 के द्वारा निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज की गई हैं। ग्राम ईस्ट होप टाउन की खतौनी में वाद संख्या–15ए/99–2000 में उपरोक्त आदेश दिनांक 02–06–2003 का अमल दरामद दिनांक 25–06–2003 को हुआ है। उसके उपरान्त तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी/अपर सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा वाद संख्या–86/96–97 में पारित आदेश दिनांक शून्य का ग्राम ईस्ट होप टाउन की खतौनी खाता में दिनांक 17–01–2009 को अमल दरामद तथा तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी/अपर सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा वाद संख्या–36/96–97 में पारित आदेश दिनांक शून्य का अमल दरामद 09–08–2010 को करते हुए ग्राम ईस्ट होप टाउन के खातों में दर्ज भूमियों को राज्य सरकार के नाम से खारिज कर विभिन्न व्यक्तियों के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कर दिया। विद्वान कलेक्टर ने अपने आदेश संख्या–839/आ0ले0–14, दिनांक 04 अप्रैल, 2014 में यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 21–12–2005 की आड़ में किया गया है जबकि दिनांक 21–12–2005 का उक्त आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11–04–2011 से निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार ग्राम ईस्ट होप टाउन

में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में दर्ज आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11–04–2011 से स्वतः निरस्त हो जाते हैं। जबकि सरकार में निहित होने का आदेश दिनांक 02–06–2003 आज की तिथि तक जीवित है। विद्वान कलेक्टर ने आदेश दिनांक 04–04–2014 से वादग्रस्त भूमि में हुए अमल दरामद दिनांक 17–01–2009 तथा 09–08–2010 निरस्त करते हुए राज्य सरकार में निहित होने सम्बन्धी आदेश दिनांक 02–06–2003 पूर्ववत बहाल किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया गया।

निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता वर्णित सम्पत्ति पर लगभग 20 वर्षों से काबिज है तथा निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि मूल भूमिधर से क्रय की थी। निगरानीकर्ता के विरूद्व आज तक धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिनांक 07–04–2014 को निगरानीकर्ता को ज्ञात हुआ कि जिलाधिकारी ने ईस्ट होप टाउन के खातों की जमीन को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित कर दिये हैं। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 02–06–2003 का उल्लेख किया है जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता को दिनांक 07–04–2014 को ही जानकारी प्राप्त हुई। उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता को न तो कोई सम्मन अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई। निगरानीकर्ता ने जब मूल वाद पत्रावली संख्या–15ए वर्ष 2000 का अवलोकन किया एवं मुवायना किया तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली अभी भी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में गतिमान है तथा उक्त पत्रावली पर प्रस्तुत निगरानी में उल्लिखित किसी भी खसरा नम्बर को राज्य सरकार में निहित नहीं किया गया है बल्कि क्रय–विक्रय पर निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान कलेक्टर के आदेश पर बन्दोबस्त द्वारा स्थल का विधिक सीमांकन किया गया था उस दौरान भी निगरानीकर्ता विधिवत निगरानी में वर्णित सम्पत्ति पर काबिज स्वामी पाया गया था। कलेक्टर देहरादून के आदेश के क्रम में आदेश दिनांक 21–08–97 से राज्य सरकार में निहित भूमि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2005 के अनुपालन में परगनाधिकारी ने राज्य सरकार से अवमुक्त करके भूमि को काश्तकारों के नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए थे जो कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करके ही किये गये थे। कलेक्टर को उक्त आदेशों के विरूद्व कोई भी अन्य आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। मा0 उच्चतम न्यायायालय के आदेशानुसार दिनांक 21–08–97 को पारित किए गए समस्त आदेशों के सम्बन्ध में एवं उनके पुनः सुनवाई करने का आदेश मा0 न्यायालय राजस्व परिषद को दिया गया है तथा राजस्व परिषद न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु समस्त पत्रावलियां विचाराधीन हैं। कलेक्टर को कोई भी अन्तरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए

क्योंकि उससे राजस्व परिषद के समक्ष निर्णय हेतु सुरक्षित पत्रावलियों के निर्णय में हस्तक्षेप समझा जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पत्रांक संख्या–839/आ0ले0–2014, दिनांक 04–04–2014 अर्द्धन्यायिक आदेश है व एकतरफा पारित आदेश है जो निरस्त होने योग्य है।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कलेक्टर, देहरादून द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है। राजस्व परिषद, उ0प्र0 और मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, अतः सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश आज की तिथि में भी प्रभावी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में आज भी वादगस्त भूमि राज्य सरकार की है और कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत भूमियों को राज्य सरकार के नाम दर्ज किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार की भूमि को खुर्द–बुर्द होने से बचाने के लिए ही प्रश्नगत आदेश दिनांक 04–04–2014 पारित किया गया है। आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी एवं विद्वान न्यायालय कलेक्टर, देहरादून की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–08–97 के आदेश से विभिन्न खातेदारों की भूमि को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किया गया था। इस आदेश के विरूद्व गोल्डन फारेस्ट कम्पनी ने राजस्व परिषद, उ0प्र0 में निगरानियां योजित की जिन्हें राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ने निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 से स्वीकार कर सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–97 को निरस्त किया गया। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेश के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिकायें योजित की गई थीं जो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21–12–2005 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 योजित कीं जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 11–04–2011 से स्वीकार की गई एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21–12–2005 इस आधार पर निरस्त करते हुए कि उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात आदेश दिनांक 24–11–2000 पारित किया गया है, जो क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं था एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश से निर्णीत निगरानी संख्या–51 से 57 वर्ष 1996–97 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 बनाम राज्य सरकार पुनः निर्णीत किए जाने हेतु राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को प्रतिप्रेषित की गई जो अभी राजस्व परिषद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निगरानियां न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के समक्ष विचाराधीन हैं और परिषद में विचाराधीन निगरानियों के संदर्भ में कलेक्टर, देहरादून द्वारा एक अन्तरिम आदेश दिनांक 04–04–2014 पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालय में वादों के विचाराधीन रहते हुए अवर न्यायालयों को किसी भी

प्रकार का कोई आदेश विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित करना उच्चतर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तो अवर न्यायालयों को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान कलेक्टर, देहरादून की वाद पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 04–04–2014 एकपक्षीय आदेश है और आदेश को पारित करने से पूर्व खातेदारों/निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रेषित नहीं किया गया जिससे वे अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते। केवल जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रश्नगत भूमि को पुनः राज्य सरकार में निहित किए जाने का आदेश/परवाना अमलदरामद वो भी धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाना विधिसंगत नहीं है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–97 के विरूद्व निगरानियां न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु लम्बित है। सहायक कलेक्टर, देहरादून द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21–08–97 के समानान्तर पुनः विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 04–04–2014 अन्तर्गत धारा–166/167 पारित किया जाना विधिक रूप से पोषणीय नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि की जो भी स्थिति होगी वह परिषद में विचाराधीन निगरानियों में पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार योग्य हैं एवं विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–04–2014 निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

निगरानी स्वीकार कर विद्वान कलेक्टर, देहरादून का आदेश दिनांक 04–04–2014 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 20 मई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।